

आर.ई.ओ - 209

**जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड**  
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता ( आर.ई एण्ड टी डब्ल्यू)

क्र.जे.पी.डी/मु.अ. (आर.ई एण्ड प्लान)/अ.अ(आर.ई. एण्ड टी डब्ल्यू)प.1201/प्रे दिनांक 6-1-2010  
4223


**आदेश**

विषय :- वर्ष 2009-10 के द्वितीय चरण के कृषि श्रेणी के मांग पत्र जारी करने के क्रम में।

निगम से जारी आदेश क्रमांक 2747 दिनांक 20.03.2009 (आर.ई.ओ 205) के द्वारा वर्ष 2009-10 में कृषि कनेक्शन 1 अप्रैल 2003 से 31 दिसम्बर 2007 तक के सामान्य कृषि श्रेणी के विचाराधीन आवेदको को मांग पत्र दो चरणों में जारी कर कृषि कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया था, प्रथम चरण में मांग पत्र 15 अप्रैल 2009 से 30 अप्रैल 2009 तक जारी करने थे जो जारी किए जा चुके हैं।

समन्वय समिति की दिनांक 24.12.2009 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में आदेश दिये जाते हैं कि द्वितीय चरण के मांग पत्र तुरन्त प्रभाव से जारी कर दिए जावे।

यह आदेश तीनों विद्युत वितरण निगमों पर लागू होगा।



(एम.एल.गुप्ता)

मुख्य अभियन्ता (आर ई एण्ड प्लान)  
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-ऊर्जा सचिव,राजस्थान सरकार,जयपुर ।
- 2-प्रबन्ध निदेशक,अजमेर विद्युत वितरण निगम लि,अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर ।
- 3-निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
- 4-मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।